IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"महिलाओं पर अत्याचार–एक दृष्टिकोण"

पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा *

पी0एच0डी0–शिक्षा

* रिसर्च स्कोलर, शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झावरमल टिवडेवाला, झुन्झुनू–राजस्थान

भारतीय संस्कृति सृजन और संवेदना की संस्कृति है इसका मूर्त रूप है, **'नारी'** जिसका समूचा अस्तित्व सृजन एवं संवेदना के स्पन्दनों भावनाओं से मानवीयता पुष्पित–पल्लवित होती रहती है कोई भी व्यक्ति अथवा समाज कितना सुसंस्कृत है इस सवाल का जबाव, उसका नारी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में खोजा जा सकता है महिलाओं के प्रति दुरूव्यवहार हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह लगाता है नारी के प्रति अपराध, संस्कृति पर आघात है इसमें दिन प्रतिदिन होनें वाली बढोत्तरी ने समुचे सांस्कृतिक अस्तित्व को संकट में डाल दिया है।

नारियों पर शोषण देखकर महादेवी वर्मा अपना आक्रोश इस प्रकार प्रकट करती है।

"मैं नीर भरी दुःख की बदली" .....

लडकियाँ मानों माटी की गुडियां हो हर मोंड पर टूटने और बिखरने का डर है हर मोड़ पर परेशानियाँ, पैदा होने पर परेशानी, पहले ही पता लगा लेते है और गर्भ में ही मार दिया जाता है वहाँ बात नहीं बनी तो 5–6 साल में ही सही। पढ़ने से वंचित।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन है :–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

जैसे आप्त वाक्य कहकर हम अपनी संस्कृति का दिन रात बखान करते कभी नहीं थकते परन्तु स्त्रियों की पीड़ा, घुटन, संत्रास और संकटों से भरा जीवन इस बात का गवाह है कि महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे है भारत में नारी को देवी का दर्जा तो मिला लेकिन उसके साथ उचित मानवीय व्यवहार नहीं किया गया बड़ी बिडम्बना हैं जो कि सृष्टि का आधार है, जगत जननी है, वही आज सेमिनारों, संगोष्ठियों और सभाओं का विषय बनी हुई है।

महिलाओं पर बढ़ते हिंसा पर अभिताभ बच्चन ने कहा कि :–

" क्योकि आप महिलाए है, इसलिए लोग आप पर अपनी सोच थोपगें, वे आपको बताएगें कि कैसे कपड़े पहने, कैसे व्यवहार करें, आप किससे मिल सकते है और आप कहाँ जा सकते हैं लोगों के फैसले की छाया में न रहे अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद तय करें।"

सम्मान के साथ जीने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है जिसे भारत का संविधान हर नागरिक के लिये सुनिश्चित करता है मानव होने की स्वाभाविक गरिमा तथा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से बचानें के लिये भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा घोषणाओं जैसे **'यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट'** तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर आयोजित सम्मेलन का एक हिस्सा बना है इसके बावजूद बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ होने वाला सर्वाधिक हिंसक कानून है जो न केवल उनकी शारीरिक अखंडता को नष्ट करता है, बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधो के विकास की क्षमता को बाधित कर उनके जीवन व जीविका को प्रभावित करता है। बलात्कार की शिकार महिलाओं को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संत्रास से गुजरना पडता है। जिस पर कार्यवाही करने की गहरी आवश्यकता होती है। ताकि वह महिला एक गरिमा पूर्ण व सार्थक जीवन जी सके। परन्तु इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार

की घटनाओं में मानों उफान सा आ गया है। ऐसा कोई दिन नही बीतता जब देश के कई कोनो में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की खबर न आती हो और अत्याचार भी एक से बढ़कर एक दरिंदगी और हैवानियत की हद पार करती हुई बलात्कार और विशेषतः सामूहिक बलात्कार एवं कुछ मामलो में तो नाबालिंक बालिकाओं की शील भंग करने के इरादें से बलात्कार की घटनाएँ अब तो आम बनती जा रही है। जब छः वर्ष, आठ वर्ष, ग्यारह वर्ष की बच्चियों के साथ अमानुषिक घटनाएँ घटती है, तो समझ ही नही आता है कि क्या हो गया है हम सभी को।

सन् 2018 में महिला समूहों ने मिलकर बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि "बलात्कारियों को मौत की सजा देने का तर्क इस विश्वास पर आधारित है कि बलात्कार मौत से भी बदतर है। सम्मान की पितृसत्तात्मक परिभाषा ही हमें यह यकीन दिलाती है कि बलात्कार से बुरा एक औरत के लिये कुछ हो ही नही सकता, इस सम्मान को खो चुकी बर्बाद औरत और यौन हिंसा का शिकार होने के बाद इसकी समाज में कोई जगह नही जैसे रूढ़िवादी विचार को कड़ी चुनौती देने की जरूरत है हम मानते है कि बलात्कार पितृसत्ता का ही हिस्सा है। हिंसा का एक तरीका है और इसका नैतिकता, चरित्र और व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है।"

महिलाओं के साथ विभेदकारी व्यवहार की समाप्ति की घोषणा 7 नवम्बर 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। इस घोषणा के अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि –**"महिलाओं को फिर वे चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित, पुरूषों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के सभी समान अधिकार प्रदान किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी और विशेषकर –**

1 – विवाहित स्तर के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के कार्य के व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा व्यवसाय चयन और रोजगार में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें।

2 – पुरूषों के समान मजदूरी तथा उसी के समान कार्य में समान व्यवहार हों–

3 – वेतन सहित अवकाश का अधिकार, सेवामुक्ति, विशेषाधिकार तथा बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था अथवा काम करने की अन्य अयोग्यताओं की दशा में सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान।

4 – पुरूषों के समान शर्तो पर पारिवारिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं के विरूद्ध विवाह के आधार पर अथवा मातृत्व के आधार पर विभेद को समाप्त करने के लिये तथा उन्हें प्रभावकारी अधिकार दिलाने के लिए कार्य किए जायेंगे तथा उनकों आवश्यक सामाजिक सेवाएं जिसके अन्तर्गत बच्चों की देखरेख, रोजगार सम्बन्धी सेवायें आदि सम्मिलित होगी फिर भी शारीरिक प्रकृति की भिन्नता के कारणों से कुछ प्रकार के कार्यो में महिलाओं की सुरक्षा स्तर निर्धारित किया जायेगा जो कि विभेदकारी नही होगा –

महिलाओं के साथ हिंसा विश्व में आज मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे घिनौना रूप माना जा रहा है। आज पूरे विश्व की महिलाये इस समस्या का सामना कर रही है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से देखे तो **"प्रत्येक तीन महिलाओं में से एक महिला के साथ बलात्कार होगा या उसे पीटा जायेगा या सेक्स के धंधे में जाने के लिए उसे विवश किया जायेगा या पूरे जीवन हिंसा के अभिशाप को भोगने के लिए तत्पर रहना होगा"।**

आज घरेलू हिंसा एक चिन्ता का विषय बन चुका है वास्तव में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली आपराधिक हिंसा का कारण कोई एक तथ्य नहीं है अर्थात् घरेलू हिंसा महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध यह एक ऐसी भूमण्डलीय गंभीर समस्या है जो उसे शारीरिक, मानसिक, यौनाचार और आर्थिक रूप से उसकी हत्या करती या उसे अपंग बना देती है मानव अधिकारों का यह सर्वाधिक व्यापक उल्लंघन है जिसके द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों को सुरक्षा, सम्मान, समानता, आत्म उत्कर्ष और बुनियादी आजादी के अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

अर्थात् घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो न तो सही तौर पर रिकार्ड किया जाता है और न ही इसकी सही तौर पर रिपोर्ट की जाती है अंततः जब कोई महिला रिपोर्ट लिखवाना चाहती है या मदद चाहती है तो पुलिस उसके प्रति उदासीनता का व्यवहार करती है इसके साथ ही साथ महिलाओं का यह सच भी सामने आया है कि शर्म, बदला लिए जाने का भय, कानूनी अधिकारों की जानकारी न होना, अदालती प्रक्रिया के प्रति विश्वास की कमी, कानूनी कार्यो पर होने वाले खर्च, भी ऐसे ही कारण है जो घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित महिला की रिपोर्ट न लिखवाने के लिए विवश करते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का पूरा जीवनकाल उजागर किया है।

1. **जन्म पूर्व हिंसा** –लिंग चुनाव के लिए भ्रूण हत्या, लिंग–जाँच हो जाने पर गर्भावस्था के दौरान महिला पर अत्याचार क्योंकि वह बालिका शिशु को जन्म देने वाली है।
2. **शैशव हिंसा** –बालिका शिशु के जन्म लेते ही उसकी हत्या इसके साथ ही उसे जन्म देने वाली महिला को दिए जाने वाले शारीरिक, यौन और मानसिक, उत्पीड़न।

3. **बाल्य उत्पीड़न** –बाल–विवाह, महिलाओ का खतना, शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न दुराचार पूर्ण व्यवहार, बाल वेश्यावृन्ति और अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए इनका इस्तेमाल।
4. **किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में हिंसा** –एसिड फेंकना, डेट के दौरान बलात्कार करना, गरीबी के कारण मजबूर करके यौनाचार करना।
5. **वृद्ध महिलाओं के साथ हिंसा** –आत्महत्या करने के लिए विवश कर देना, आर्थिक कारणों से की गई हत्या।

सन् 2001 में जहाँ देश भर में बलात्कार के कुल 16,075 मामले दर्ज हुए थे वहीं 2017 में यह संख्या बढ़कर 32,559 हो गयी यानी 17 सालों में बलात्कार के मामलों में भारत में 108 फीसदी की बढोत्तरी हुई एवं 2001 से 2017 के बीच भारत में कुल 4,15,786 बलात्कार के माामले दर्ज किये गये इन 17 सालों में हर घंटे औसतन 3 महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आये अर्थात् पिछले 17 सालों के दौरान पूरे देश में प्रति दिन 67 महिलाओं के साथ बालात्कार हुये। एन0सी0आर0वी रिपोर्ट 2017 में बलात्कार के केस में बताया कि ऐसे केसों में 97.5 प्रतिशत मामले में जानने वाला ही आरोपी पीड़ित को जानने वालों में से थे। हालांकि साल 2017 के लिये जारी किये गये आँकड़ों के अनुसार साल 2015 के मुकाबलें ऐसे मामले में 2 फीसदी की कमी आयी है रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 30,299 मामलों में से 3,155 में आरोपी पीड़ित के परिवार का सदस्य थे बलात्कार के 16,591 मामले परिवारिक मित्र नौकरी देने वाले पड़ोसी या अन्य ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थे 10,553 मामलों में आरोपियों में दोस्त ऑनलाईन दोस्त लिव इन पार्टनर या पीड़िता पूर्व पति थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार बलात्कार के आँकड़े :–

क्रम सं0	अपराध	2004	2009	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	बलात्कार	18,233	21,397	24,923	36,739	34,094	38,947	32,559	33,356	32,033

(सारणी नं – 1)

16 दिसम्बर 2012 का निर्भयाकांड :–

दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को निर्भया के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण ढंग से सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था इस घटना के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन करते हुए बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में कडी सजा का प्रावधान किया गया इसी क्रम में '**प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेसेज**' अधिनियम में भी संशोधन करके 12 साल का प्रावधान किया गया सुषमा स्वराज ने जिंदगी और मौत के बीच झूल रही 2012 के दिल्ली बलात्कार कांड की पीड़िता को **जिंदा लाश** कहा था, इसलिये बलात्कार के आरोपियों के लिये फांसी की मांग करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि उन्होने जो अपराध किया है वह मौत के समान है। हालांकि उत्तर प्रदेश के हाथरथ में 14 सितम्बर 2020 को फिर एक दलित निर्भया कांड को चार लोगों ने अंजाम दिया उस दलित लड़की पर हुए अत्याचार से यह तो स्पष्ट है कि दंड के कड़े प्रावधान भी अपराधियों को रोकने में सक्षम नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बाबजूद भी 2004 में प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाऐं यौनशोषण का शिकार हुई रिपोर्ट के मुताविक 2014 में केन्द्रशासित और राज्यों को मिलाकर कुल 36,735 मामलें दर्ज हुये।

देश भर में वर्ष 2014–18 के बीच बलात्कार के 1.75 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गये और इस दौरान मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले सामने आए यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के ताजा ऑकड़ों में सामने आयी इन पाँच वर्षो के दौरान देश भर में कुल 1,75,695 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये।

बलात्कार के ऑकडें वर्ष 2014 से 2018 तक :–

राज्य	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र	असम	दिल्ली	छत्तीसगढ़
कुल मामले	25,259	19,406	18,542	15,613	8,889	8,693	8,592

(सारणी नं – 2)

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्ष 2018 में औसतन हर रोज 80 हत्याएं और 91 बलात्कार की शिकायत दर्ज की जाती है एन0सी0आर0बी0 के आंकडों के मुताविक देश में दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने की दर

सिर्फ 27.2 प्रतिशत है जबकि 2017 में दोषियों को सजा देने की दर 32.2 प्रतिशत थी। एन0सी0आर0वी0 के ऑकडे बताते है कि हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले साल यानी 2017 के मुकाबलें बढ़ोत्तरी हुई है 2018 के ऑकडों के मुताबिक देश में हर दिन औसतन करीब 80 लोगों की हत्या कर दी जाती है इसके साथ ही 289 अपहरण और 91 मामले दुष्कर्म के सामने आये।

बलात्कार के ऑकडें प्रतिशत के आधार पर :–

वर्ष	2019	2018	2017	2016	2015	2014
प्रतिशत	8.0	8.8	9.04	11.49	10.35	10.82

(सारणी नं – 3)

योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुये बताया कि एक जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच यू0पी0 में करीब 9703 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किये गये उन लड़कियों में से 988 लड़कियों को बलात्कार के बाद जान से मार दिया गया।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो कें आंकड़ों के आधार पर बलात्कार पर 2019 में दर्ज केस :–

राज्य	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	केरल	दिल्ली	हरियाणा	झारखण्ड
केस	5,997	3,065	2,485	2,299	2,023	1,253	1,480	1,416

(सारणी नं – 4)

साल 2018 में ग्लासगो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड में 991 महिलाओं के मामलों का अध्ययन किया जिन्होने यौन उत्पीड़न और बलात्कार का सामना किया था अध्ययन में पाया गया कि 90 प्रतिशत अपराधी पीड़िता के प्रेमी, पति, परिवार, नौकरी देने वाले, पड़ोसी या सहयोगी थे **अमेरिका लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबिन मॉर्गन ने 1974 में लिखें अपने प्रसिद्ध लेख " थ्योरी एंड प्रैक्टिस : पोनोग्राफी एंड रेप** में लिखा था कि पोर्नोग्राफी उस सिद्धान्त की तरह काम करता है जिसे व्यावहारिक रूप से बलात्कार के रूप में अंजाम दिया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक '**अमेरिकी फेडरल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टिगेशन**' ने अपने आपराधिक आंकडों के विश्लेषण में पाया है कि यौन हिंसा के 80 प्रतिशत मामलों में वहॉ पोर्न की मौजूदगी देखी गई है। **टेड बडी नाम के एक अमरीकी सीरियल किलर** ने 30 से अधिक महिलाओं और लडकियों का वीभत्स तरीके से बलात्कार और फिर उनकी हत्या की थी जिसने जनवरी 1989 में मौत की सजा से एक दिन पहले साक्षात्कार में जानकारी दी।

बलात्कार होने के कारण :–

- महिलाओं का कमजोर आत्मविश्वास।
- नशा।
- अशिक्षित लोग।
- पुरूषों की मानसिक दुर्बलता।
- शहर के एकांत में गुंडों का अड्डा।
- प्रशासन और पुलिस की अक्षमता।

निष्कर्ष :– हर एक स्त्री को अपने बचाव और सुरक्षा के लिये हर तरह की कोशिश करनी होगी स्त्री को शारीरिक रूप से सशक्त बनना चाहिये एवं मन से भी उसे मजबूत होना चाहिए अकेली स्त्री जब डरकर रहती है तो उसे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है हर एक स्त्री के अन्दर आत्मविश्वास होना चाहिये उसे हर मुसीबत का सामना हिम्मत से करना होगा जब हर स्त्री हिम्मत से कार्य करेगी तो कोई भी पुरूष स्त्री के आत्मविश्वास को टक्कर नही दे सकता है **प्रोफेसर और लीगल रिसर्च प्रभा कोटिस्वरन ने द वायर** से बात करते हुये कहा कि

"मौजूदा कानून का निश्चित रूप से अमल ही पीड़ितों के हितो की रक्षा का सबसे सुरक्षित तरीका है जब कानूनों का पालन नही होता, तब और कड़े कानूनो की मांग बढ़ती है जिसका अमल और कम होता है और ऐसी मांग करते समय संविधान

द्वारा दिये गये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की बात नही होती और ऐसे समय में जब यौन संबधों का स्वरूप बदलाव के दौर से गुजर रहा है तब सहमति से बनाए गए यौन संबंधो को गैर जरूरी रूप से अपराधिक बना दिया जाता है।"

स्वामी विवेकानन्द स्त्री की दीनता, हीनता और पराधीनता के कट्टर विरोधी है उनका कहना है कि हमारे देश के पतन के अनेक कारणों में नारी जाति का निरादर मुख्य है अतः स्वामी जी ने नारी उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है **"पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करों, तब वे आपको बतायेगी कि उनके लिये कौन से सुधार आवश्यक है उनके मामलों में तुम बोलने वाले कौन हो।"**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. वर्मा, महादेवी वर्मा (2019) : मैं नीर भरी दुःख की बदली : अमर उजाला, काव्य डेस्क नई दिल्ली प्रकाशन तिथि : 03 जून 2019
2. जोशी योगेन्द्र : यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इत्यादि – मनुस्मृति के वचन
3. www.samskritabharatiuk.org
4. www.vichaarsankalan.worldpress.com
5. अभिताभ बच्चन : किसी को भी खुद पर हावी मत होने दो. दैनिक भास्कर मुम्बई
6. संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में अनुच्छेद 10
7. नीलम यादव : भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना
8. www.nevbharattimes.com
9. www.indiatimes.com
10. www.dw.com
11. www.aajtak.in
12. www.news18.in
13. www.abpnews.in
14. www.satyagrah.scroll.in
15. www.mumbailive.com
16. www.m.thewirehindi.com